न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 36/2019 एल.आर.एक्ट GCMS No. 2019/00063

1. महिमाजीत कौर पत्नि स्व. श्री परमजीतसिंह जाति जटसिख निवासी चक 17 ओ. तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर(फौत)

1/1 हरप्रीतसिंह पुत्र महिमाजीत कौर पत्नि स्व. श्री परमजीतसिंह जाति जटसिख निवासी चक 17 ओ. तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर।

1/2 अमरजीत कौर पुत्र महिमाजीत कौर पत्नी स्व. श्री परमजीतसिंह जाति जटसिख निवासी चक 17 ओ. तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर।

1/3 मनजीतकौर पुत्री महिमाजीत कौर पत्नी स्व. श्री परमजीतसिंह जाति जटसिख निवासी चक 17 ओ. तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर।

1/4 गुरशरणसिंह पुत्र महिमाजीत कौर पत्नि स्व. श्री परमजीतसिंह जाति जटसिख निवासी चक 17 ओ. तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर(फौत)

1/4/1 इन्द्रजीत कौर पत्नी गुरशरणसिंह पुत्र महिमाजीत कौर पत्नि स्व. श्री परमजीतसिंह जाति जटसिख निवासी चक 17 ओ. तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर।

1/4/2 अमनजीत कौर पुत्री गुरशरणसिंह पुत्र महिमाजीत कौर पत्नि स्व. श्री परमजीतसिंह जाति जटसिख निवासी चक 17 ओ. तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर।

1/4/3 विक्रमजीतसिंह पुत्र गुरशरणसिंह पुत्र महिमाजीत कौर पत्नि स्व. श्री परमजीतसिंह जाति जटसिख निवासी चक 17 ओ. तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर।

—— अपीलान्ट्स

बनाम

1. अजीतपालसिंह पुत्र भूपेन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी चक 17 ओ. तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. मनिन्द्रसिंह पुत्र भूपेन्द्रसिंह जाति जटसिंख निवास चक 17 ओ. तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर।
3. परमिन्द्र कौर पत्नी भूपेन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी चक 17 ओ. तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व करणपुर।

—— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री राजेश बैद् — अभिभाषक अपीलांट्स
श्री सत्यपाल सहू — अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांक 21.07.2025

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सर्तकता) श्रीगंगानगर के आदेश

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

दिनांक 05.03.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादग्रस्त भूमि चक 17 ओ. मुरब्बा नंबर 1 की 1 ता 25 बीघा भूमि गुरूदत्त के नाम दर्ज खातेदारी कृषि भूमि थी। गुरदत्त सिंह ने अपीलांट सं. 1 के पक्ष में एक वसीयत दिनांक 27.03.1998 को निष्पादित की। गुरदत्त सिंह का देहान्त दिनांक 12.04.1998 को हो जाने पर अपीलांट के द्वारा उक्त वसीयत के आधार पर अपने नाम से इंतकाल दर्ज कराने हेतु एक प्रार्थना–पत्र तहसीलदार करणपुर के समक्ष प्रस्तुत किया। तहसीलदार करणपुर ने उक्त प्रार्थना–पत्र पर वसीयत के आधार पर अपीलांट के पक्ष में इंतकाल दर्ज करने का आदेश दिनांक 21.07.2003 पारित कर दिया, जिसके आधार पर इंतकाल संख्या 151 दर्ज हो गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 ने तहसीलदार करणपुर के आदेश दिनांक 21.07.2003 के विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन (सर्तकता) श्रीगंगानगर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अधीनरथ न्यायालय अति. जिला कलक्टर (सर्तकता) श्रीगंगानगर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.03.2010 पारित करते हुए इंतकाल संख्या 151 दिनांक 21.07.2003 को निरस्त कर दिया तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड कर दिया कि सभी वारिसान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए वसीयत की सत्यता की जांच करके पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 05.03.2010 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की। इस न्यायालय के पत्रांक 93 दिनांक 06.03.2025 द्वारा वादगत प्रकरण में तहसीलदार श्रीकरणपुर से राजस्व रिकार्ड की तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई थी। तहसीलदारं श्रीकरणपुर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 21.04.2025 में वादगत भूमि अपीलांट सं. 1 के नाम जरिये वसीयत इंतकाल सं. 151 दर्ज होना अवगत कराया। तत्पश्चात् उक्त भूमि अपीलांट सं. 1 ने बलजिन्द्र सिंह पुत्र गुरदेव सिंह को जरिये बैयनामा बैय कर दी, जिसका इंतकाल संख्या 190 बैयनामा दर्ज कर दिया गया, जो आदिनांक स्वीकृत नहीं हुआ हैं।

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलाधीन भूमि गुरदत्त के नाम दर्ज खातेदारी कृषि भूमि थी। गुरदत्त सिंह ने अपीलांट के पक्ष में एक वसीयत दिनांक 27.03.1998 को निष्पादित की। गुरदत्त सिंह का देहान्त हो जाने पर अपीलांट के द्वारा उक्त वसीयत के आधार पर अपने नाम से इंतकाल दर्ज कराने हेतु एक प्रार्थना–पत्र तहसीलदार करणपुर के समक्ष प्रस्तुत किया। तहसीलदार करणपुर ने उक्त प्रार्थना–पत्र पर वसीयत के आधार पर अपीलांट के पक्ष में इंतकाल दर्ज करने का आदेश दिनांक 21.07.2003 पारित किया, जिसकी पालना में इंतकाल संख्या 151 दर्ज किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार करणपुर ने सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए वादगत भूमि का इंतकाल अपीलांट के नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किए थे। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 5 मियाद अधिनियम के झुठा प्रार्थना–पत्र एवं शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया था क्योंकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 को इंतकाल की जानकारी दिनांक 1.8.2005 को ही हो गई थी, लेकिन उनके द्वारा प्रथम अपील में न्यायालय में उक्त समस्त तथ्यों को छिपाकर न्यायालय के समक्ष झुठा शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद शामिल कराने की

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

कार्यवाही की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 Clean Hand से उपस्थित नहीं हुए थें। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त सभी तथ्यों को नजर अंदाज करते हुए वसीयत के आधार पर दर्ज इंतकाल संख्या 151 एवं आदेश दिनांक 21.07.2003 निरस्त कर दिया, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय. अतिरिक्त जिला कलक्टर, सतर्कता, श्रीगंगानगर का निर्णय दिनांक 05.03.2010 निरस्त किया जावे।

3— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 ने दौराने बहस अवगत कराया कि उक्त रेस्पोडेन्ट्स की ओर से बहस हेतु हिदायत पैरवी नही होने के कारण मुझे इस प्रकरण की बहस में कोई कथन नहीं करना है।

4— हमने अधीनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.03.2010 पारित कर अपीलाधीन इंतकाल संख्या 151 को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार श्रीकरणपुर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड कर दिया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्रीकरणपुर मृत्तक गुरदत सिंह के सभी वारिसान को सुनवायी का समुचित अवसर देते हुए वसीयत की सत्यता की जांच करके पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अपीलाधीन इंतकाल संख्या 151 तहसीलदार श्रीकरणपुर के आदेश दिनांक 21.07.2003 की पालना में दर्ज है। उक्त आदेश पारित करने से पूर्व तहसीलदार द्वारा मृतक गुरदत सिंह के सभी वारिसान को न तो पक्षकार बनाया गया और न ही उनको नोटिस दिया गया। अपीलाधीन वसीयत अपंजीकृत है। अपंजीकृत वसीयत के आधार पर नामान्तरण दर्ज करने से पूर्व वसीयत की सत्यता के बारे मे भी जांच करनी चाहिये थी। उक्त परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश न्यायोचित हैं। हम अधीनस्थ न्यायालय के उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.03.2010 में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.03.2010 यथावत रखा जाता है।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 21.07.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर